अन्धकार जीवन रहे, बिन सत्संग दुराव।
निज चरित्र सुधरे नहीं, दिव्य न होय स्वभाव।।

संपादकीय

मुद्दों से भटका चुनाव

निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव की घोषणा किए तथा आदर्श आचार संहिता लागू हुए 50 दिन से अधिक हो चुके हैं। तीन चरणों का मतदान हो चुका है तथा आधे से अधिक लोक सभा क्षेत्रों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा कांग्रेसनीत विपक्षी गठबंधन दोनों जीत के लिए लगातार प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। इन सब बातों के बीच मतदाता अगर किसी चीज की कमी महसूस कर रहे हैं तो वह है अहम मुद्दों पर ठोस बहस। दोनों दलों ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी किए हैं लेकिन जरूरी नहीं कि उनमें चर्चा के अहम बिंदु शामिल हों। चाहे जो भी हो, भारत में चुनाव प्रचार वैसे भी काफी हद तक घोषणापत्र से परे होता है। देश में अधिकांश बहस अप्रासंगिक और अवांछित विषयों पर केंद्रित रही है। जल्दी ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश में इससे बेहतर की उम्मीद थी। चूंकि जरूरी मुद्द नहीं उठ रहे हैं इसलिए भाषा भी प्रभावित हुई है। यह 10 वर्ष पहले हुए लोक सभा चुनावों से एकदम विपरीत है। उस समय भाजपा ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की कमजोरी का लाभ लेने के लिए 'अच्छे दिन' का वादा किया था। वह बदलाव के लिए हुआ सकारात्मक चुनाव प्रचार था और दशकों बाद एक दल को बहुमत मिला था। 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अहम था क्योंकि पुलवामा और बालाकोट के मामले जनता की स्मृति में एकदम ताजे थे। आज वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। प्रचार अभियान इतिहास के इर्दगिर्द घूम रहा है। कई बार तो मध्यकालीन इतिहास की बातें होने लगती हैं कि किसने कब क्या खाया, आरक्षण को बरकरार रखने या बढ़ाने की बातें हो रही हैं जो अक्सर आबादी के एक हिस्से को दूसरे के खिलाफ करती हैं। अन्य बातों के अलावा संपत्ति और संसाधनों के पुनर्वितरण की बातें हो रही हैं। इनसे आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। न ही स्कूली शिक्षा के नतीजों में कोई सुधार होने वाला है। उदाहरण के लिए विरासत कर का मुद्दा कुछ दिनों तक बिना वजह चर्चा में रहा और फिर नदारद हो गया। यह बात हम सभी जानते हैं कि भारत जैसे देश में ऐसे कर लगाना बहुत मुश्किल है। राजनीतिक दलों द्वारा अप्रासंगिक मुद्दों पर बात करने की एक वजह चुनावों की प्रक्रिया का लंबा होना भी हो सकता है। अगर दो या तीन चरणों में चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाती तो शायद वे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहते। राजनीतिक बहस में सुधार की प्राथमिक जिम्मेदारी भाजपा और कांग्रेस दोनों की है। भाजपा देश को विकसित बनाना चाहती है तो उसके लिए यह अवसर था कि वह अपनी उपलब्धियां गिनाए और भविष्य के खाके पर बात करे। कांग्रेस तथा विपक्षी दलों के लिए यह मौका था कि वे उन क्षेत्रों को रेखांकित करें जिनमें सरकार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। वे मतदाताओं के समक्ष बेहतर विकल्प भी प्रस्तुत कर सकती थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय मतदाताओं को मोटे तौर पर व्यक्तिगत हमले सुनने को मिल रहे हैं और ऐसे मुद्दों पर बात हो रही है जो देश को आगे ले जाने वाले नहीं हैं। भारत को तेज आर्थिक विकास की आवश्यकता है। इसके लिए राजनीतिक पूंजी और ऊर्जा को टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहना चाहिए। इससे जुड़ा एक मसला रोजगार तैयार करने का है। देश की बढ़ती श्रम शक्ति के लिए तथा कृषि में लगी देश की आधी आबादी को उससे बाहर निकालने के लिए उत्पादक रोजगार की आवश्यकता है। तभी उत्पादकता और वृद्धि हासिल किए जा सकेंगे। भारत ये लक्ष्य कैसे हासिल करेगा, यह बात किसी भी राजनीतिक बहस के केंद्र में होनी चाहिए। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने चुनाव के पहले एक सर्वेक्षण कराया था जिसमें पाया गया था कि मुद्रास्फीति और रोजगार अधिकांश भारतीयों के लिए प्रमुख मुद्दा हैं। अब वक्त आ गया है कि राजनीतिक बहस उन मुद्दों पर हो जो जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं।

आज का विचार

जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं।

सहज योग संदेश

श्री सद्गुरु देव जी की अनुभव वाणी

ज्ञान चक्षु से देखिये, सार शब्द का रूप।
अन्तर में अन्तर धसो, पावो शब्द अनूप।। *-स्वर्वेद*

योग विज्ञान की चेतन दृष्टि से अन्तरतर में प्रवेश कर अनुपम सारशब्द के स्वरूप को देखें और उस अनुपम शब्द की प्राप्ति करें।

-जारी
महर्षि सदाफल देव जी महाराज

गीता आचरण-7

निमित्त मात्र

श्रीमद्भागवदगीता का जन्म रणक्षेत्र में हुआ था और वर्तमान महामारी (कोविड-19) का समय कुरुक्षेत्र युद्ध के समान है। गीता में एक वाक्यांश 'निमित्त मात्र' यानी 'सर्वशक्तिमान के हाथों में एक उपकरण' बड़े स्पष्ट तरीके से इसका सार प्रस्तुत करता है। अर्जुन श्रीकृष्ण को यथास्वरूप देखना चाहता था और उसे समझने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता थी, जैसे अंधे को पूर्ण हाथी को देखने के लिए आंख की आवश्यकता होती है। भगवान श्रीकृष्ण ने उसे अपने विश्वरूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु दिया था। विश्वरूप दिखाने के अलावा, श्रीकृष्ण उसे भविष्य तक देखने की दृष्टि प्रदान करते हैं और अर्जुन देखता है कि कई योद्धा मौत के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तब

के शिव प्रसाद

भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये योद्धा जल्द ही मारे जाएंगे और तुम इस प्रक्रिया में केवल एक साधन मात्र हो। श्रीकृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन कर्ता नहीं है। वह यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जब अर्जुन विजयी होगा तो वह अहम् भाव से मुक्त होगा, क्योंकि जीत अहंकार को सर्वाधिक बढ़ावा देती है। वहीं श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान से पलायन नहीं करने दिया। निमित्त मात्र एक आंतरिक बोध है और इसका प्रतिफल निर्मल और अहंकार से मुक्त होना तय है। कोरोना महामारी के समय सडक पर या नियंत्रण कक्ष में स्थित व्यक्तियों के लिए कठिनाइयां अर्जुन के विषाद की तरह ही होती हैं। इसका कोई इलाज नहीं होने के कारण हम अंदर से केवल निमित्त मात्र हैं और बाहर की दुनिया में हमें सौंपी गई जिम्मेदारी को सर्वोत्तम ढंग से निभाना चाहिए। यह छोटा सा अहसास वास्तव में एक वरदान हो सकता है क्योंकि गीता की कई अवधारणाएं तब तक स्पष्ट नहीं होती हैं जब तक कि उन्हें जीवन में अनुभव नहीं किया जाता है, खासकर कठिन परिस्थिति में। कोयले का ढेर अत्यधिक दबाव में हीरे में बदल जाता है और आग में तपकर सोना शुद्ध हो जाता है। ये परीक्षण समय निमित्त मात्र की स्थिति को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं और यह छोटा सा सूत्र हमें समर्पण के मार्ग के माध्यम से हमारे अंतरात्मा के करीब ले जाने की क्षमता रखता है। **-लेखक वरिष्ठ आईएएस हैं।**

सामाजिक बुराई

नासूर बनते बाल विवाह

रमेश सर्राफ धमोरा

हमारे देश में प्राचीन समय से कुछ ऐसी प्रथाएं चली आ रही है। जिसका लोगों के दैनिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिनमें बाल विवाह भी एक हैं। किसी भी बच्चे की शादी उसके निश्चित आयु से पहले यानी बाल्यकाल में होना बाल विवाह कहलाता है। यह एक रूढ़िवादी प्रथा है। यह प्रथा बच्चों की सारे मनवा अधिकारों को खत्म कर देता है। जैसे- खेलकूद, मनोरंजन, शिक्षा आदि के अधिकारों को समाप्त कर उन्हें ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। प्राचीन सभी प्रथाओं में बाल विवाह सबसे बड़ा कुप्रथा है। क्योंकि कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ उनके खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। साथ ही वह अपने शिक्षा और खेलकूद के अधिकारों आदि से वंचित रह जाते हैं। इस कुप्रथा का शिकार ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती है। बाल्यकाल में विवाह होने से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। विकास के दौर में बाल विवाह एक नासूर के समान है। देश में हर व्यक्ति को शिक्षित करने की मुहिम चल रही है। हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में बाल विवाह होना समाज के माथे पर एक कलंक के समान है। देश में अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर हर वर्ष हजारों की संख्या में बाल विवाह किए जाते हैं। तमाम प्रयासों के बाबजूद हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नही हो पा रहा है। भारत में बेटी-बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के शुरू होने के बावजूद एक नाबालिग बेटी की जबर्दस्ती शादी करा दी जा रही है। बाल विवाह मनुष्य जाति के लिए एक अभिशाप है। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि आज भी छोटे-छोटे बच्चे इस प्रथा की भेंट चढ़े जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह बेटी बचावो बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। देश के सभी प्रदेशों में बेटियां शिक्षित हो रही है। ऐसे में समाज को आगे आकर कम उम्र में लड़कियों के होने वाले बाल विवाह रुकवाने के प्रयास करने होंगे। आजकल कई लड़कियां खुद भी आगे आकर अपना बाल विवाह रुकवाने का प्रयास करने लगी है। भारत में यह प्रथा लम्बे समय से चली आ रही है जिसके तहत छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के पढ़े लिखे समाज में भी यह प्रथा अपना स्थान बनाए हुए है। जो बच्चे अभी खुद को भी अच्छे से नहीं समझते। जिन्हें जिन्दगी की कड़वी सच्चाईयों का कोई ज्ञान नहीं। जिनकी उम्र अभी पढने लिखने की होती है। उन्हे बाल विवाह के बंधन में बांधकर क्यों उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। देश में बाल विवाह के 50 प्रतिशत से अधिक मामले केवल 5 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। शेष चार राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। वर्तमान में भारत में बाल विवाह के लगभग 22 प्रतिशत मामले हैं जो कि लगातार कम हो रहे हैं। इसके प्रमुख कारणों में महिलाओं में साक्षरता और जागरूकता का बढ़ना, शिक्षा के प्रसार के कारण लड़कियों के प्रति अभिभावकों की सोच में परिवर्तन आना, शहरीकरण में वृद्धि तथा कठोर कानूनों की उपस्थिति को माना जा सकता है।

भारत में बाल विवाह में गिरावट आई है। लेकिन देश में पांच लड़कियों में से एक और छह लड़कों में से एक की अभी भी बचपन में शादी कर दी जाती है। हाल के वर्षों में यह प्रथा कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक प्रचलित हो गई है। दिसंबर 2023 में द लैंसेट ग्लोबल

हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाने वाले पहले अध्ययनों में से एक है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर समय के साथ लड़की और लड़के के बाल विवाह की दर में क बदलाव आया है। अध्ययन में पाया गया कि 1993 से 2021 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह में गिरावट आई है। बालिका बाल विवाह का प्रचलन 1993 में 49 प्रतिशत से घटकर 2021 में 22 प्रतिशत हो गया। जबकि बालक बाल विवाह 2006 में 7 प्रतिशत से घटकर 2021 में 2 प्रतिशत हो गया। बाल विवाह के प्रचलन में सबसे बड़ी कमी 2006 और 2016 के बीच हुई। सबसे कम कमी 2016 से 2021 के बीच हुई। इन बाद के वर्षो के दौरान छह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बालिका विवाह में वृद्धि देखी गई।

आंकड़ों से साफ है कि आजादी के 77 साल बाद भी इस देश में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। हम अपनी बेटियों को बाल विवाह और कम उम्र की गर्भावस्था से नहीं बचा पाए हैं। यही कारण है कि इस देश में 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे एनीमिया (रक्ताल्पता) के शिकार हैं। यूनिसेफ द्धारा जारी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के कई क्षेत्रों में अब भी बाल विवाह हो रहा है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में बाल विवाह की दर में कमी आई है। लेकिन कई प्रदेशों में यह प्रथा अब भी जारी है। रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की यह कुप्रथा आदिवासी समुदायों सहित कुछ विशेष जातियों के बीच प्रचलित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका शिक्षा की दर में सुधार, किशोरियों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा किये गए निवेश व कल्याणकारी कार्यक्रम और इस कुप्रथा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रभावी संदेश देने जैसे कदमों के चलते बाल विवाह की दर में कमी देखने को मिली है। यूनिसेफ के अनुसार अन्य सभी राज्यों में बाल विवाह की दर में गिरावट लाए जाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। किंतु कुछ जिलों में बाल विवाह का प्रचलन अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। यह रिपोर्ट हमारे सामाजिक जीवन के उस स्याह पहलू कि ओर इशारा करती हैं। जिसे अक्सर हम रीति-रिवाज व परम्परा के नाम पर अनदेखा करते हैं। देश में बाल विवाह के खिलाफ कानून बने हैं और समय-समय पर उसमें संशोधन कर उसे ओर प्रभावशाली बनाया गया हैं। फिर भी लगातार बाल विवाह हो रहे हैं। भारत में बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1929 में पारित किया गया था। बाद में सन् 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किये गए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर 2 साल की जेल व एक लाख रुपए का दंड निर्धारित किया है।

अगर सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नही हो पा रहा है। तो इस असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है इसके प्रति सामाजिक जागरुकता की कमी। जब तक समाज में बल विवाह रोकने के प्रति जागरूकता नहीं आएगी तब तक यह कुरीति खत्म नही होने वाली है। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। सिर्फ कानून के भरोसे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को नहीं रोका जा सकता है। देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है तो इसके लिए समाज को ही आगे आना होगा तथा बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना होगा। समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। अभिभावकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरुक करना होगा। सरकार को भी बाल विवाह की रोकथाम के लिये बने कानून का कड़ाई से पालन करवाना होगा। बाल विवाह प्रथा के खिलाफ समाज में जोरदार अभियान चलाना होगा। साथ ही सरकार को विभिन्न रोजगार के कार्यक्रम भी चलाने होंगे ताकि गरीब परिवार गरीब परिवारों की बच्चियां बाल विवाह का निशाना न बन पाएं।

भगवान परशुराम जयंती

अदम्य साहस, वीरता और शौर्य के प्रतीक भगवान परशुराम

बाल मुकुन्द ओझा

लोक नायक भगवान परशुराम का जन्मोत्सव देशभर में शुक्रवार को हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जायेगा। परशुराम अन्यायी राजतंत्र के विरुद्ध संघर्ष के योद्धा थे। इस अवसर पर शोभा यात्रा, हवन पूजन सहित धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। देशभर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को समूचा देश भगवान परशुराम के जयकारे से गूंजेगा। ब्राह्मण जाति के कुल गुरु भगवान परशुराम की जयंती हिन्दू पंचांग के मुताबिक वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। इस वर्ष परशुराम जयंती 10 मई शुक्रवार को है। परशुराम जयंती मनाने की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हिंदू मान्यता के अनुसार परशुराम जयंती पर शुभ मुहूर्त में भगवान परशुराम की साधना-अराधना करने से जीवन से जुड़े तमाम कष्ट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 मई 2024 को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 मई 2024 को प्रात-2:50 पर इसका समापन होगा। इस तिथि पर प्रदोष व्यापिनीमें पूजा करनी चाहिए क्योंकि भगवान परशुराम का प्राकट्य काल प्रदोष काल है, इसलिए परशुराम जी की पूजा शाम को करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम जी का जन्म पुर्नवसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम पहर में पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिये गए पुण्य का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से साहस में वृद्धि होती है और भय से मुक्ति मिलती है। उनका जीवन हमें सदा सर्वदा अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध दृढ रहने, और संघर्ष करके विजय प्राप्त करने को प्रेरित करता है। परशुराम की गाथा अनीति, अन्याय, अत्याचार, छल-प्रपंच का संहार करने की सच्चाई वर्णित करती है जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। मान्यता है कि परशुराम का जन्म धरती पर राजाओं द्वारा किए जा रहे अधर्म, पाप का विनाश के लिए हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी है।मान्यता है कि पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्म छह उच्च ग्रहों के योग में हुआ, इसलिए वह तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष बने। भगवान परशुराम के बारे में देश और समाज में अनेक कहानी किस्से प्रचलित है। उन्हें क्रोधी, अहंकारी और पृथ्वी से क्षत्रियों का नामों निसान मिटाने वाले के रूप में चित्रित किया गया है। मगर यह पूरा सत्य नहीं है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों और शोध पुस्तकों के अनुसार परशुराम ने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अपना फरसा उठाया था। उनके इस कदम से आम लोगों को राहत मिली थी। उन्होंने समाज के दीन हीन लोगों को संरक्षण दिया था। आततायियों का वध कर शांति स्थापित की थी। इससे उन्हें समाज का व्यापक समर्थन हासिल हुआ। दरअसल वे एक जाति या समूह के नायक नहीं हो कर सर्व समाज के महानायक थे। वे पैदा अवश्य ब्राह्मण के घर हुए थे मगर संस्कारों से समाज भूषण थे। यही कारण है कि आज परशुराम समाज के सभी वर्गों के प्रिय है। भगवान परशुराम का आदर्श चरित्र देश में आज भी प्रासंगिक है। भक्ति और शक्ति के प्रतीक परशुराम का चरित्र सत्ताधीशों को त्याग, जन कल्याण और उत्तम आचरण की शिक्षा देता है। वह शोषित पीड़ित जनमानस को उसकी शक्ति और सामर्थ्य का अहसास दिलाता है। शासकीय दमन के विरूद्ध क्रांति का शंखनाद है। सर्वहारा वर्ग के लिए अपने न्यायोचित अधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा है। वह राजशक्ति पर लोकशक्ति का विजयघोष है। जनता पर अत्याचार रोकने के लिये उन्होंने हिंसा का सहारा लिया और 21 बार इसका प्रायश्चित कर जीती हुई सारी धरती दान कर स्वयं ही देश निकाला लेकर महेंद्र पर्वत पर चले गए। बताया जाता है भगवान परशुराम ने जनकल्याण के लिए अपने समय में नदियों की दिशा बदल दी थी। उन्होंने अपने बल से आर्यों के शत्रुओं का भी नाश किया था। भगवान परशुराम को भागवत पुराण में सोलहवां अवतार माना गया है। अपनी घोर तपस्या के बल पर अन्याय और अत्याचार का खात्मा करने में वे सफल रहे। उन्होंने अधर्मियों, अन्यायियों व अत्याचारियों के खिलाफ शस्त्र उठाए।

क्या राजनीतिक दल युवाओं के प्रति उदासीनता को दूर कर पाएंगे?

भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र में लिखा कि यह अमृतकाल अर्थात एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था का पहला आम चुनाव है और हमारे युवाओं को इसके महत्व को समझना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है, यह वर्तमान सरकार को समझना होगा किंतु युवाओं के लिए यह स्पष्ट नही है क्योंकि शिक्षित या अशिक्षित वर्गों द्वारा इसके प्रभाव को पूर्णतः नहीं समझा गया। सरकार मानव संसाधनों को पोषित कर रही है और जीवन की जरूरतों की आसानी तथा उद्यमिता को बढावा दे रही है किंतु क्या यह पीढी मानती है कि शब्दों और कार्यों में समानता नही है।

सामाजिक विश्लेषकों और युवा नेताओं के विचारों में यह चिंता स्पष्टतः दिखायी देती है कि दुर्भाग्य से सरकार समस्या के आयामों से अवगत नही है। हालांकि युवा जनसंख्या का सर्वाधिक गतिशील वर्ग माना जाता है। भारत में विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जनसंख्या आकलन के संबंध में प्रतिनिधि समूह की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 25 से 29 आयु वर्ग के युवाओं की संख्या 2021 में कुल जनसंख्या का 27.2 प्रतिशत था 2036 तक इनकी संख्या कम होकर 22.7 प्रतिशत रह जाएगी किंतु संख्या की दृष्टि से यह अभी काफी अधिक 34.5 करोड है। किंतु यह दुःखद तथ्य है कि आम युवा चुनावी प्रक्रिया में रूचि नही लेता है और यह उसे अपनी आवाज को सुनाने के साधन के रूप में नहीं मानता। सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर के माध्यम से इस बात को न्यायसंगत ठहराने का प्रयास किया जाता है किंतु ग्रामीण युवा कृषि को अलाभप्रद मान रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे रोजगार उपलब्ध नही है। जेन नेक्सट में हताशा और निराशा है हालांकि इन विषयों पर इन चुनावों में चर्चा हो रही है किंतु इससे युवाओं में आशा नही जगी है कि नई सरकार उनके मुद्दों का निराकरण करेगी और इसका कारण भारत में बेरोजगारी के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट है जिसमें पाया गया है कि भारत में कुल बेरोजगारों में 83 प्रतिशत युवा हैं। इन बेरोजगार लोगों में युवाओं की संख्या 66 प्रतिशत है।

वस्तुतः विश्व में भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। यहां पर हेडलाइन दर 23 प्रतिशत है। जिसके चलते भारत यमन, ईरान, लेबनान, सीरिया और ऐसे अन्य देशों की श्रेणी में आ गया है किंतु ये देश एक तेजी से बढ रही अर्थव्यवस्था या पांचवीं सबसे बडी का दावा नही करते हैं। हमारे छोटे पडोसी बंगलादेश में यह मात्र 12 प्रतिशत है। 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग मे बेरोजगारी दर 44 प्रतिशत है। इसलिए इस बात पर हैरानी नही होती है कि जिन लोगों का भविष्य दांव पर लगा है उनकी मतदान में कोई रूचि नही है।

वर्ष 2024 के चुनावों में लगभग 38 युवा मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कम संख्या में लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत हो रहे हैं। एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफार्म ने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया के बारे में युवाओं में संशय है। उनमें उदासीनता का कारण यह है कि अधिकतर राजनीतिक दलों में पर्याप्त युवा नेता नही है। राजनीतिक नेतृत्व उभरती सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के बारे में चिंता प्रदर्शित नही करते हैं। बिहार में युवा मतदाताओं की कम संख्या के बारे में एक्शन फोर अकाउंटेबल गवर्नेंस के राजीव कुमार का कहना है कि हालांकि बिहार में राजनीतिक जागरूकता है किंतु युवाओं में राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिबद्धता के बारे में हताशा और निराशा है। इसलिए राजनीतिक दलों की गारंटी या वायदे से युवा पीढी प्रभावित नही हो रही है क्योंकि वे वास्तविक इरादों पर आधारित नही है। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और उन पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वे युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन के बारे में मौन हैं। मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को पर्याप्त वित्तीय आवंटन के बारे में कुछ भी नही कहा जा रहा है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इसी तरह के कार्यक्रम को शुरू करने की मांग की जा रही है। लांसेट के एक हालिया लेख के अनुसार आत्महत्या करने वालों में 75 प्रतिशत पुरूष होते हैं और उनमें से अधिकतर आर्थिक दृष्टि से वंचित युवा होते हैं। भारत में 1976 में आत्महत्या की दर प्रति माह 6.3 थी जो पिछली जनगणना में बढकर 12.4 हो गयी है और शहरी क्षेत्रों में इसमें 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूरदराज के क्षेत्रों में आत्महत्या की घटनाओं को दर्ज भी नही किया जाता है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का मुकाबला करने की बातें की जाती हैं और इससे युवा पीढी इस सबंध में ठोस कार्यवाही के बजाय इसे एक नारे के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि पिछले एक दशक में विभिन्न विकास नीतियों कार्यान्वयन पर 30 लाख करोड रूपए खर्च किए गए और लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में पैसे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के शासन से अलग है जिसने कभी दावा किया था कि यदि दिल्ली से एक रूपया भेजा जाता है तो गंतव्य तक केवल 1 पैसा पहुंचता है। आप कल्पना कीजिए कि यदि उनके नियंत्रण में 30 लाख करोड रूपए होंगे तो इसके क्या परिणाम होंगे।

तथापि ग्रामीण युवा इससे अधिक प्रभावित नही है क्योंकि उन्हें केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याण परियोजनाओं में कोई अंतर नहीं दिखायी देता है। जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार यथावत है। दूसरी ओर कांग्रेस सतारूढ भाजपा पर आरोप लगा रही है कि उसकी धनी लोगों के साथ सांठगांठ है और उसने वायदा किया है कि वह इस संबंध में वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण करेंगे कि उसके राज्यों में देश की संपत्ति है और फिर उसका पुनर्वितरण करेंगे। क्या युवा इससे खुश होंगे? इस बारे में कुछ नही कहा जा सकता है क्योंकि कारपोरेट जगत आटोमेशन की दिशा में बढ रहा है जिसके कारण रोजगार के अवसरों में और कटौती होगी। राजनीतिक दलों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि देश के प्रतिभाशाली युवा अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका एकमात्र उपाय यह है कि ऐसी रणनीति या योजना बनाए जो उन्हें प्रेरित करे और युवा पीढी लाभप्रद कार्यों में संलिप्त हो जिससे सामंजस्यपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिक्त पडे सरकारी पदों को भरने के अलावा निजी सेक्टर में भी पर्याप्त पदों में भर्ती करे और अपनी श्रम शक्ति से अत्यधिक कार्य न करवाए।

जैसा कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि देश में बेरोजगारी भत्ता शुरू किया जाना चाहिए। जब बडी परियोजनाएं जिनके लाभार्थी युवा होते हैं, वे चलाई जा रही हैं तो फिर गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भत्ते के कार्यान्वयन में कोई समस्या नही हो सकती है और इसके लिए यदि आवश्यक हुआ तो अत्यधिक धनी वर्ग पर 1 प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिए। किसी राष्ट्र की प्रगति उसकी युवा पीढी पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वह युवा पीढी की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दे क्योंकि यही वह वर्ग है जो देश के भावी विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। **-धुर्जति मुखर्जी, इंफा**